



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-01.07.2024

विषय:- महिला से जबरदस्ती दुष्कर्म करने से सम्बन्धित मामले में वांछित अभियुक्त बहादुर यादव थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम, चोरी/लूट/हत्या की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट के नेतृत्व में थाना कैण्ट द्वारा मुखबिर की सहायता से मु0अ0सं0 0249/24 धारा 323/506/307/376 भा.द.वि. थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्त बहादुर यादव पुत्र श्रीराम चन्द्र यादव निवासी एस-24/110 केआर-2 महावीर मंदिर टकटकपुर थाना कैण्ट जनपद वाराणसी को आज दिनांक-01.07.2024 को समय 12.05 बजे टकटकपुर अर्दली बाजार वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 30.06.2024 को वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रतिवादी द्वारा वादिनी के साथ दुष्कर्म करना व विरोध करने पर गला दबा कर मारने-पीटने व जान से मारने की धमकी दिया गया है जिसके आधार पर थाना कैण्ट में मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 प्रभाकर सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

बहादुर यादव पुत्र श्रीराम चन्द्र यादव निवासी एस-24/110 केआर-2 महावीर मंदिर टकटकपुर थाना कैण्ट जनपद वाराणसी उम्र करीब 55 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 प्रभाकर सिंह थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी।
2. हे0का0 अखिलेश यादव थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी।
3. का0 अतुल पाण्डेय थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।

